उनवानः राजेन्द्र वनाम अरविन्द

मु0न0. 100/2022

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजु दिनांकः 26.07.2022

मु0न0 [illegible]/2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मंडी के पीछे, टोडाभीम जिला करौली (राज0) ....सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:54:33 IST
Reason: SelfAttested

वनाम

अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मंडी के पीछे, टोडाभीम जिला करौली (राज0) ....गैरसायल

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट सायल
श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट गैरसायल

निर्णय दिनांकः 31.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मकबरा की आराजी ख0न0 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकबा 3.39 है0 मे, सायल का हिस्सा 1/4, गैरसायल का हिस्सा 1/4 है, ग्राम असरो की आराजी ख0न0 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकबा 0.91 है0 मे, सायल का हिस्सा 1/12, गैरसायल का हिस्सा 1/12 है।

प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी का सायल व गैरसायल के मध्य मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है, लेकिन विधिवत बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, भूमि के प्रत्येक इंच भूभाग पर सायल व गैरसायल का संयुक्त कब्जा कास्त है, लेकिन आये दिन सायल व गैरसायल के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने से भूमि की डोलमेढ को लेकर एवं कम अधिक हिस्सा कास्त कर लिये जाने से झगडा फसाद रहता है।

वाका दिनांक 22.07.2022 का है कि सायल उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे आगामी फसल हेतु सावट रखी अपने हिस्से की आराजी मे जोत लगवा रहा था तो गैरसायलान, सायल के हिस्से की भूमि पर आये, और कहा कि यह सम्पूर्ण आराजी हमारी है, तू इस पर कास्त मत कर, सायल ने उनसे कहा कि यह आराजी पुश्तैनी आराजी है, जिस पर मेरा भी हिस्सा है, और मे अपने हिस्से की अराजी को कास्त कर रहा हूँ , तुम्हें परेशानी है तो विधिवत बंटवारा करवा लो, और उक्त भूमि के अलावा अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति दुकान, मकान का भी सक्षम न्यायालय मे चलकर बंटवारा करवालो, तो गैरसायलान ने सायल से कहा कि तेरा उक्त भूमि, दुकान व मकान मे कोई हिस्सा नहीं है, सम्पूर्ण भूमि को हम ही कास्त करेंगे, और ऐलानिया कहा कि अब हम कृषि भूमि का बंटवारा नहीं करायेंगे, और बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर अजनबी लठेत व्यक्तियों को हस्तांतरित कर तुझे तेरे हिस्से की भूमि से बेदखल कर देंगे, शांतिपूर्वक कास्त नहीं करने देंगे, इस प्रकार गैरसायलान ने सायल के हिस्से से साफ इंकार कर दिया है, गैरसायलान उक्त कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को भारी हकतलफी होगी, जिसकी पूर्ती इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी, उक्त भूमि को गैरसायलान आज कल मे ही बिना विधिवत बंटवारा कराये दीगर अजनबी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर आमादा है, तथा सायल को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं, इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष मे साबित है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः राजेन्द्र वनाम अरविन्द

मु0न0. 100/2022

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल ना तो स्वयं ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से आराजी मद नं 3, 4 प्रार्थनापत्र मे सायल के हिस्से क्रमशः 1/4, 1/12 की आराजी को शांतिपूर्वक कास्त करने मे कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें, बिना विधिवत बंटवारा कराये भूमि के किसी भूभाग को रहनवय या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें, सायल के हिस्से की आराजी से गैरसायल ना तो स्वयं बेदखल करें, ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया, गैरसायल ने वकालतन उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुये जबाब मे दर्ज किया कि सायल व गैरसायल के मध्य कभी कोई बातचीत नहीं हुई, प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित नहीं है, बल्कि गैरसायल के हक मे है, प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को कोई क्षति नहीं है, जबकि जारी होने से गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी, विशेष विवरण मे दर्ज किया है सायल द्वारा मेटेरियल फैक्टस को छिपाते हुये दावा व दरखास्त पेश किये हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जा कास्त नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है। सायल व गैरसायल सहखातेदार हैं, तथा खातेदार को पाबंद फरमाया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मय खर्चा खारिज किया जाये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, सायल वकील ने बहस मे प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र के मद नं 2 मे दर्ज ग्राम मकबरा की आराजी मे सायल 1/4 हिस्से का व मद नं 2 मे दर्ज ग्राम असरो की आराजी मे सायल 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी का सायल व गैरसायल ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, आये दिन बंटवारा नहीं होने से पक्षकारान मे विवाद रहता है, दिनांक 22.07.2022 को गैरसायल व दावे के प्रतिवादी सं 2 व 3 ने सायल के हिस्से की आराजी पर आकर सायल को कास्त करने से मना कर दिया, और बिना विधिवत बंटवारा कराये दीगर अजनबी लठेत व्यक्तियों को हस्तांतरित करने व सायल के हिस्से की आराजी से सायल को बेदखल करने व सायल को उसकी भूमि को शांतिपूर्वक कास्त नहीं करने देने की ऐलानिया धमकी दी है, यदि गैरसायल उक्त मंसूबे मे कामयाब हो गया, तो सायल को भारी क्षति होगी। इस प्रकार प्राईमाफेसी केश व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्वांत, उक्त तीनों ही बिन्दु सायल के पक्ष मे बखूबी साबित है। प्रार्थनापत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे।

गैरसायल वकील ने अपनी बहस मे जबाब प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल द्वारा दावा व प्रार्थनापत्र मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर पेश करने से व वादग्रस्त भूमि पर सायल का कब्जा कास्त नहीं होने से दावा व प्रार्थनापत्र सायल चलने योग्य नहीं है, साथ ही यह भी कथन किया है कि सायल व गैरसायल सहखातेदार हैं, तथा खातेदार को पाबंद किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थनापत्र सायल मय खर्चा खारिज किया जावे।

विद्वान वकीलों की बहस पर गहनता से मनन किया गया, पत्रावली व उसमे पेश दस्तावेजात का अलोकन किया, प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिये विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओं को तय किया जाना होता है।

Signature Not Verified

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली [illegible] की जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 मे आराजी खा0नं0 111/0.64, [illegible]/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकबा 3.39 है0 मे सायल राजेन्द्र कुमार हिस्सा 1/4, गैरसायल अरविन्द कुमार

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:54:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

हिस्सा 1/4, दावे की प्रतिवादी सं 2 अनीता हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं 3 सुनीता हिस्सा 1/4 सा.देह. टोडाभीम दर्ज रिकॉर्ड है, एवं ग्राम असरो की आराजी ख0न0 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकबा 0.91 है0 मे, सायल राजेन्द्र कुमार सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, गैरसायल अरविन्द कुमार सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12 है, दावे के प्रतिवादी सं 2 अनीता सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं 3 सुनीता सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/12, माता प्रतिवादी सं 4 ता 9 सत्यवती सा.देह. टोडाभीम हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं 10 अदील अहमद सा.देह. मकबरा हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार सायल भूमि मद नं 1 प्रार्थनापत्र मे 1/4 हिस्से का व मद नं 2 प्रार्थनापत्र मे 1/12 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज होना मुताविक रिकॉर्ड साबित है, अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस मे कथन किया है कि दिनांक 22.07.2022 को सायल अपने हिस्से की आराजी पर जोत लगवा रहा था, तो गैरसायलान ने आकर धमकी दी, सायल वादग्रस्त भूमि मे अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है, जिसके विपरीत अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी बहस मे सायल के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के कथन को इंकार किया है, लेकिन गैरसायल द्वारा पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायल का ही कब्जा कास्त हो। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे सायल के हिस्से की भूमि पर सायल का कब्जा होना साबित है। अधिवक्ता गैरसायल ने बहस मे कथन किया है कि सहखातेदार को पाबंद किया जाना न्याय संगत नहीं है, चूंकि सायल ने बंटवारे का दावा पेश किया है, और वादग्रस्त आराजियात संयुक्त कब्जे, कास्त और खातेदारी की भूमि है, जिस पर कानूनन पक्षकारान के हितों को सुरक्षित करने हेतु दौराने दावा गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना चाहिये, इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे व गैरसायल के खिलाफ साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः**– पत्रावली मे शामिल दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः**– प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजियात मे यदि गैरसायल को पाबंद नहीं किया जाता है तो गैरसायल द्वारा दौराने दावा उक्त भूमि के हस्तांतरित करने व सायल के कब्जे कास्त मे दखलअंदाजी करने से इंकार नहीं किया जा सकता और ऐसा होने पर सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी–पूरी संभावना है। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष मे साबित है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्वांत सायल के पक्ष मे साबित होने से सायल का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान ताफैसला दावा आराजी स्थित ग्राम मकबरा ख0न0 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकबा 3.39 है0 मे, सायल के 1/4 हिस्से व ग्राम असरो की आराजी ख0न0 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकबा 0.91 है0 मे, सायल के 1/12 हिस्से की आराजी को सायल को शांतिपूर्वक कास्त करने मे कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें, बिना विधिवत बंटवारा कराये उक्त भूमि के किसी भी भूभाग को किसी भी प्रकार हस्तांतरित नहीं सायल को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें, वादग्रस्त उक्त आराजी के रिकॉर्ड मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:54:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी